निर्णय बईजलास श्री निकया गोहाएन आई0ए0एस0 जिला कलक्टर,झालावाड़

मि0न0 100/अपील/20

राम गोपाल पुत्र शंकरलाल कुल्मी नि0 पाटलिया कुल्मी तहसील बकानी (अपीलान्ट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये नायब तहसीलदार बकानी (रेस्पो0)

अपील बनाराजी निर्णय दिनांक 11.09.2020 न्यायालय नायब तहसीलदार बकानी मि0न0 534/20

उपस्थित:— पेरोकार सरकार

—: निर्णय :—

दिनांक: 10.11.2020

यह अपील अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बकानी के आदेश, दिनांक 11.09.2020 जो मिसल न0 534/20 पर दिया गया है जिसमें अपीलान्ट को ग्राम सेमलीकलां की आराजी ख0न0 447 रकबा 0.15 बीघा किस्म चरागाह पर अतिकमी मानकर 30 दिवस का सिविल कारावास व 60 रूपये शास्ती के दण्ड से दण्डित किया गया है से अप्रसन्न होकर पेश की गई है। अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने अपील मेंमों में निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड एवं साक्ष्य से सर्वथा विपरित एंव विधि के सिद्धान्तो के विरूद्ध होने से खारिज योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट को पक्ष रखने का समय नही दिया । अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट 7 दिवस के अन्दर पटवारी हल्का से कब्जा छोडने की रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगा इसलिये कब्जा छोडने का शपथ पत्र साथ में सलंग्न है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नही दिया गया है । अपीलान्ट द्वारा पेनल्टी की राशि जमा करवादी गई है। अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

अभिभाषक अपीलान्ट या अपीलान्ट के दौराने सुनवाई न्यायालय हाजा में उपस्थित नही रहने पर उनका पक्ष नही सुना जा सका इस कारण प्रकरण को निस्तारण मेरिट पर किया जा रहा है। दौराने सुनवाई पेरोकार सरकार ने व्यक्त किया कि अपीलान्ट द्वारा चरागाह की भूमि पर किया गया अतिकमण पश्चातवर्ती अतिकमण होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो उचित है अपील खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में स्पष्ट अंकन किया गया है कि अपीलान्ट द्वारा पूर्व में भी इसी आराजी पर अतिकमण किया गया था जिस पर मिसल न0 1229 निर्णय दिनांक 28.11.2019 से आराजी से बेदखल किया गया था, इस प्रकार अपीलार्थी का पश्चातवर्ती अतिकमण साबित है व पश्चातवर्ती अतिकमी होने पर ही नायब तहसीलदार बकानी द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न आराजी पर कब्जा बदस्तूर बाबत रिपोर्ट से यह साबित है कि अपीलान्ट द्वारा आराजी पर से अतिकमण नही हटाया गया है जबकि इस बाबत उनके द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। अपीलान्ट के इस कृत्य को संरक्षण दिया जाना हमारी राय में उचित नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में किसी तरह के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। उपरोक्त विवेचन से अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फेसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ भिजवाई जावे । पत्रावली फेसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.11.2020 को मेरें द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(निकया गोहाएन)
जिला कलक्टर
झालावाड़